संशोधन

संख्या- 58 /2026 / 542 /चार-2026- 2018154

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 19 फरवरी, 2026**

विषय:- उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ में ई- ऑफिस के संचालन के लिए कम्प्यूटर सिस्टम क्रय किये जाने हेतु 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 55/2026/175/चार-2026-2018154 दिनांक 17 फरवरी, 2026 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सबंध में शासनादेश संख्या- 55/2026/175/चार-2026-2018154 दिनांक 17 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. शासनादेश संख्या- 55/2026/175/चार-2026-2018154 दिनांक 17 फरवरी, 2026 के प्रस्तर-1 में टंकण त्रुटिवश 'लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति -104-अभिलेखागार -03-राज्य अभिलेख- 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय' **के स्थान पर** 'लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान -46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय' अंकित हो गया है।

3. इस संबंध में उक्त शासनादेश संख्या- 55/2026/175/चार-2026-2018154 दिनांक 17 फरवरी, 2026 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2026 के प्रस्तर-1 में अंकित 'लेखाशीर्षक 2205-कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर-**107-संग्रहालय -03-अधिष्ठान** -46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय' **के स्थान पर** 'लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति -**104-अभिलेखागार -03-राज्य अभिलेख**- 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय' पढ़ा जाए।

4. उक्त शासनादेश संख्या- 55/2026/175/चार-2026-2018154 दिनांक 17 फरवरी, 2026 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in